छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण कमांक : SM-PRO-2018-00197

रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध वर्गेशी बिल्डर्स, इंजीनियरिंग एण्ड कॉलानाईजर्स, जगदलपुर

प्रोजेक्ट–"VARGHESE WINGS" कंगोली, जगदलपुर, जिला–बस्तर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
19/12/2018	– प्रकरण प्रस्तुत। – अनावेदक की ओर से श्री शाईन वर्गेश स्वयं उपस्थित। – प्रस्तुत प्रकरण में अनावेदक द्वारा रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर एवं रेरा की वेबसाईट दर्शाये बगैर, वैली लैण्ड, धरमपुरा नं.–1, जगदलपुर, जिला–बस्तर (छ.ग.) स्थित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापन/क्रय हेतु ऑफर प्रसारित किया गया था। – इस संबंध में अनावेदक को आहूत कर स्वयं का पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। अनावेदक ने प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जिसमें अनावेदक ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए सद्भाविक त्रुटि के कारण क्षमा याचना की है। – प्रकरण का अवलोकन व परिशीलन किया। प्रकरण की परिस्थितियों से परिलक्षित होता है कि अनावेदक द्वारा की गई त्रुटि सद्भाविक है। अतः अनावेदक को भविष्य में किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन में रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर व छत्तीसगढ़ रेरा की वेबसाईट का अनिवार्य रूप से उल्लेख करने तथा अधिनियम के प्रावधानों का किसी भी रूप में उल्लंघन न करने की चेतावनी देते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है। – प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे। (राजीव कुमार टम्टा) सदस्य सदस्य भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर (विवेक ढाँड) अध्यक्ष अध्यक्ष भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर	

छत्तीसगढ़ भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर